

राजनीति में मर्दानगी

-विकास नारायण राय

राजनीति के क्षेत्र में चेतनासंपन्न ही नहीं अधिकारसंपन्न स्त्रियों की उपस्थिति भी नहीं से रही है। इंदिरा गांधी से जयललिता और मायावती से ममता बनर्जी तक एक अच्छी-खासी श्रृंखला है इन उत्प्रेरक नामों की। इसके बावजूद, राजनीतिक गलियारों से ठसकभरी 'मर्दानगी' के गहरे जमे हुए पैर उखड़ने का नाम नहीं ले रहे। लोकतंत्र में यह विरोधाभासी स्थिति लगती है कि प्रधानमंत्री पद का एक प्रबल दावेदार शासन की अपनी क्षमता चुनावी मंच से छप्पन इंच की मर्दानगी छाती का ढेल पीटकर सिद्ध करे। या उसके विरोधी, दशकों पूर्व हुए पत्नी से उसके अलगाव को उसे राजनीतिक रूप से नाकारा करार देने का तर्क बनाएँ जो मर्दानगी को नहीं सम्हाल सका वह देश को भला क्या सम्हाल पायेगा! यहाँ कोई खाप या शरियत के नाम पर स्त्री विरोधी एजेंडे पर काम करनेवाले लोगों की बात नहीं हो रही; यह राष्ट्रीय राजनीति के मुहानों में रची-बसी 'मर्दानगी' की लैंगिक अवधारणा का जलवा है। भारत के चुनावों में तरह-तरह के ध्वीकरण, जमीनी और हवाई, मिलेंगे लेकिन लैंगिक ध्वीकरण मीडिया की चर्चा में भी देखने को नहीं मिलता। स्त्री की असुरक्षा और उसके सम्मान के प्रश्न बेशक चुनावी प्रश्न भी बनाये जाते हैं, पर इन्हें भी स्त्री के सशक्तीकरण से जोड़कर नहीं, 'मर्दानगी' के नजरिये से ही उठाया जाता है। मूँछों से गौरवान्वित और चूड़ियों से शर्मिदा राजनीति! मर्दानगी तो कर ही रहे हैं, राजनीतिक स्त्रियाँ भी पीछे नहीं। मर्दानगी के मर्दानगी को देखने और स्त्री को हाँकने का नाम 'मर्दानगी' हुआ। ऐसे सामन्ती जीवन-मूल्य, काफी हद तक, देश के राजनीतिक माहौल पर इस लिए भी हावी हैं क्योंकि हमारे राजनीतिक संगठनों/गतिविधियों के संचालन का तौर-तरीका प्रायः अराजक रहा है। भाजपा जैसे प्रमुख राष्ट्रीय दल की तो सामरिक एवं सांस्कृतिक कमान ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे खालिस मर्दानगी संगठन के हाथ में है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव दलगत पायदानों पर महिलाओं के आगे बढ़ने में स्वस्थ प्रतियोगिता को निरुत्साहित करनेवाला सिद्ध होता है। सच्चाई यही है कि दलगत राजनीति की प्रणालियाँ स्त्रियों को सशक्त नहीं कर सकी हैं; बेशक इक्का-दुक्का असरवाली महिलायें हर राजनीतिक दल में मिल जायेंगी। ऐसे में काला धन, गुंडा शक्ति और संरक्षण की जोड़-तोड़ से चलनेवाली चुनावी कवायदों में महिलाओं के लिए अवसरों का सीमित रहना स्वाभाविक ही हुआ। प्रमुख राजनीतिक दलों में यह समझ बन चुकी है कि संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण देर-सबेर लागू करना ही पड़ेगा। स्पष्टतः, वस्तुस्थिति भी यही है कि अन्यथा इन सदनों में महिलाओं की संख्या नगण्य ही बनी रहेगी। आज के हालात में अपने तई कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को संसद/विधानसभाओं के चुनाव में बढ़-चढ़कर नामित करने की स्थिति में नहीं लगता; वे दल भी नहीं जिनमें सोनिया, ममता, जयललिता या मायावती जैसी महिला सुप्रियो का दबदबा है। लिहाजा, विधायिका में महिलाओं की संख्या कम से कम एक तिहाई तक पहुँचानेवाले संविधान संशोधन को लैंगिक समानता के राजनीतिक रुझान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि की तरह देखना गलत नहीं होगा तो भी यह जरूरी नहीं कि महिला आरक्षण, राजनीति की दुनिया में महिलाओं के लिए सशक्तीकरण की मजिल की ओर एक निर्णायक कदम सिद्ध हों। अन्य क्षेत्रों का अनुभव बताता है कि महज उपस्थिति बढ़ने से महिलाओं की स्थिति नहीं बदलने जा रही। स्त्री के लिए जमीनी सच्चाई, उपन्यासकार मैथिली पुष्पा के शब्दों में, गई लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज जैसों के व्यवहारिक अनुकूलन में झलकती है, - 'करबाचौथ हमारी वफादारी का लाइसेंस है जो हमें हर साल रिन्यू करना पड़ता है।' देश की राजनीतिक संस्कृति का तकाजा है कि सक्रिय राजनीति में आनेवाली स्त्रियाँ परम्परागत बहुओं-

मूँछों से गौरवान्वित और चूड़ियों से शर्मिदा राजनीति! मर्दानगी तो कर ही रहे हैं, राजनीतिक स्त्रियाँ भी पीछे नहीं। मर्दानगी के मर्दानगी को देखने और स्त्री को हाँकने का नाम 'मर्दानगी' हुआ। ऐसे सामन्ती जीवन-मूल्य, काफी हद तक, देश के राजनीतिक माहौल पर इस लिए भी हावी हैं क्योंकि हमारे राजनीतिक संगठनों/गतिविधियों के संचालन का तौर-तरीका प्रायः अराजक रहा है। भाजपा जैसे प्रमुख राष्ट्रीय दल की तो सामरिक एवं सांस्कृतिक कमान ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे खालिस मर्दानगी संगठन के हाथ में है।

बेटियों की तरह दिखनी चाहिए। गांधी परिवार की बहुओं डू इतालवी मूल की सोनिया और माडलिंग पुष्टभूमि से निकली मेनका डू से लेकर टी वी की दुनिया की सफल बहू के किरदार से राजनीति में आयी स्मृति ईरानी और फिल्मों बहुओं जयललिता, हेमामालिनी, जयप्रदा तक, किसी की भी राजनीतिक छवि मर्दानगी के तिलिस्म को तोड़नेवाली नहीं है। इन्हीं की तरह, ममता दीदी और बहन मायावती जैसी कद्दावर बेटियों का भी मर्दानगी की राजनीतिक चुनौती से पार पा लेने का मतलब यह नहीं कि उनकी छवि राजनीति से 'मर्दानगी' को ठिकाने लगानेवाली भी बन सकी है। स्त्रियों की सुरक्षा और उनके सशक्तीकरण के मसले तमाम राजनीतिकों की जवान पर मिलेंगे और साथ ही वे स्वयं को अपने विपक्षी के मुकाबले बेहतर 'मर्दानगी' भी सिद्ध करते रहना चाहेंगे। इस तरह, मानो दोनों बातों में कोई विरोधाभास ही न हो, जैसे दोनों बातें एक दूसरे की पूरक ही हों। चुनाव की लोकतांत्रिक कवायद में मुलायमों और मोदियों के मुँह से सार्वजनिक सभाओं में सामंती 'मर्दानगी' का बखान अजीब लगता है, पर है यह उस चुनावी प्रतिस्पर्धा का ही एक प्रदर्शन जिसमें स्त्रियों को पुरुषों का पिछलगू रहना है। ये मर्दानगी आधस्त हैं कि ऐसा करने के लिए भरपूर सामाजिक स्पेस उन्हें उपलब्ध है। लगभग सौ वर्ष पूर्व गांधी जी के आन्दोलनों के रास्ते भारतीय महिलाओं का राजनीतिक गतिविधियों में व्यापक सक्रिय प्रवेश संभव हुआ था। तब से अनेकों राष्ट्रीय एवं स्थानीय आन्दोलनों और यहाँ तक कि सशस्त्र क्रांतिकारी संघर्षों में भी स्त्रियों की राजनीतिक भागीदारी रही है। प्रासंगिक होगा गांधी जी के एक राजनीतिक सम्बोधन के जरिये 'मर्दानगी' की सामाजिक उपस्थिति को महसूस करना। खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी को सीमान्त प्रांत के दौर पर बुलाया था कि पठान लोग उनकी जवान से ही अहिंसा का पैगाम सुनें। 4 मई 1938 को पेशावर के इस्लामिया कॉलेज में दिए भाषण में गांधी ने एक उद् अखबार की इस आलोचना का जिक्र किया कि वे वहाँ पठानों को नामर्दान बनाने आये हैं। गांधी का स्वाभाविक तर्क था कि अहिंसा कायदा का नहीं बल्कि बहादुरी का माध्यम है। अंत में उनका संदेश था, च्यदि आप इस आदर्श का पालन कर सकें, तो यकीन रखिये, किसी के पास यह कहने का कोई कारण नहीं रहेगा कि अहिंसा आपको नामर्दान बना देगी। यानी 'मर्दानगी' को निडरता और 'नामर्दानगी' को कायरता के समाज स्वीकृत अर्थ में राजनीतिक शब्दावली में सदैव से स्थान मिलता रहा है। आश्चर्य नहीं कि आज के राजनीतिक लोग भी जब-तब इस शब्द-जाल में उलझते मिलें। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे आज के मुखर नारीवादी समय में खुले रूप से स्त्री विरोधी होने का दुस्साहस

दिखाना जारी रख सकते हैं। बहुत से तो वास्तव में किसी न किसी स्तर पर स्त्री की लैंगिक बराबरी के समर्थक होने के बावजूद बस बोलने में गच्चा खा जाते हैं। इसी की बानगी है कि राजनीतिक समाज में स्त्री के सशक्तीकरण को शिक्षा और मातृत्व के आंकड़ों में सीमित कर देने-दिखाने का रिवाज है, न कि लैंगिक चेतना और लैंगिक न्याय के व्यापक पैमानों पर कसने का। आप के मुखिया केजरीवाल की 'मर्दानगी' को उनके विपक्षियों ने कुछ खास ही चोट पहुँचाई होगी! यह आक्षेप सुनते-सुनते कि जन-लोकपाल के मुद्दे पर उनकी सरकार के इस्तीफा देने का मतलब दिल्ली का मैदान छोड़कर भागना हुआ, उनका पलटवार इस अंदाज में भी आया, चक्क्या मैं किसी की लड़की लेकर भाग गया? ज्ञ यानी लड़की के साथ जाना मैदान छोड़ कर भागने से ज्यादा अपमानजनक है! गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के सुप्रियो मुलायम सिंह यादव को अपने छप्पन इंच के सीने की चुनौती दे डाली। 'मर्दानगी' की इस विशिष्टता का जिक्र उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुकाबले गुजरात के बेहतर विकास के दावे को रेखांकित करने के लिए किया। दोनों में दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध न होने पर भी, 'मर्दानगी' की अवधारणा के सांस्कृतिक-सामाजिक निहितार्थ के चलते, राजनीति की स्क्रिप्ट 'मर्दानगी' की भाषा में लिखी और पढ़ी गई। इसी भाषा में विदेश मंत्री सलमान खुशीद ने गुजरात दंगों को रोकने में विफल होने के आरोप में मोदी को नपुंसक कह डाला। फिल्मों के ही नहीं भाजपा के भी विद्वेही नायक शत्रुघ्न सिन्हा के चुनाव-नामांकन के समय पत्नी से सार्वजनिक रूप से पैर छुआने की मर्दानगी तुष्टि को मीडिया ने भी 'आशीर्वाद' का नाम दिया। मर्दानगी के तिलिस्म की महिमा ही कही जायेगी कि बिना किसी कानूनी पशोपेश के पत्नी का एकतरफा परित्याग करने और एक महिला को उसकी जानकारी के बिना पुलिसिया निगरानी में रखने जैसे कृत्य भी मोदी की एक मजबूत राजनीतिक नेता की छवि में संध नहीं लगा सके हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने साम्प्रदायिक भाषणों के लिए अमित शाह और आजम खान को चुनाव प्रचार से प्रतिबंधित कर निश्चित ही एक जरूरी सन्देश दिया। जबकि लैंगिक क्षेत्र में, मुलायम सिंह और अबू आजमी ने इसी लहजे में बलात्कार की शिकार स्त्री को ही जवाबदेही के कठघरे में खड़ाकर मर्दानगी का जहर उगला, पर उन्हें सीना ताने दनदनाते घूमने की पूरी छूट है। 'असुरक्षित महिला' की थीम से विरोधियों को कोसनेवाली राजनीतिक शब्दावली में 'मर्दानगी' को स्त्री के सशक्तीकरण का जरिया प्रचारित करना आसान रहता है। वातावरण में 'मर्दानगी' के इस कदर हावी होने से तमाम विमर्श को एक 'चौकीदार' के चश्मे से देखना ही स्वाभाविक लगने लगता है। दरअसल आज तक किसी भी चुनाव में महिला सशक्तीकरण को प्रमुखता से चुनावी मुद्दा बनाना जरूरी बना ही नहीं। अन्यथा, समाज में पुरुष और स्त्री की स्टीरियोटाइप भूमिका की वस्तुस्थिति में आए बदलावों के लिहाज से आज के समय का आंदोलित तर्क स्वयं स्त्री को सक्षम करार देता है, जिससे मानवीय कार्यकलाप का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह सकता। यह चलन राजनीतिक समाज के लिए भी संकेतक होना चाहिए। डू कि 'सशक्तीकरण' की रोशनी को 'मर्दानगी' के ग्रहण से ढककर रखने के दिन, राष्ट्र के लिए 'अच्छे दिन' नहीं हो सकते। भारतीय इतिहास के पन्नों से रानी लक्ष्मी बाई और रानी पद्मिनी के क्रमशः शत्रु-घाती व आत्म-घाती प्रतिरोधों के बिम्ब स्त्री सशक्तीकरण के दो स्वदेशी राजनीतिक माडल के रूप में सामने आते हैं। इन दो बलिदानों को एक जैसा सम्मान देना अलग बात है। पर आज भी दोनों को अनुकरणीय आदर्श माननेवाला राजनीतिक समाज अनिश्चय के दोराहे पर ही खड़ा रह गया है। इस समीकरण से औरत को भी पिंड छुडाना है और मर्दानगी को भी।

टैक्स अधिकारी जुटे हैं अपना घर भरने में

करनाल: (म.मो.) भारत सरकार ने रेवेन्यू इकठ्ठा करने के लिये आयकर विभाग और बिक्रीकर विभाग बनाया है। सरकार ने विभाग में कमीशनर, बिक्रीकर अधिकारी, इंस्पेक्टर, कलंकर, चपरासी, आदि भी नियुक्त कर उनपर वेतन आदि का करोड़ों खर्च करती है। उसके बदले में सरकार विभाग से उम्मीद रखती है कि विभाग ईमानदारी से लोगों से बिक्रीकर वसूल कर सरकार के खजाने को भरेगा। परन्तु आज विभाग के अधिकारियों ने सरकार से वेतन लेने के बावजूद सरकार को ही चूना लगा रहे हैं। सेल टैक्स को अपनी दुकान बना बनाकर कमाई कर रहे हैं जो लोग ईमानदारी से एक नम्बर का कारोबार करते हैं, रिश्वत नहीं देना चाहते उन्हें अपने कारोबार का वार्षिक हिसाब दिखाने के लिये कार्यालय के बार-बार चक्कर कटवाते हैं, जिससे व्यापारी अपने बिजनेस का नुकसान होता देख कर रिश्वत देने के लिये मजबूर हो जाता है। व्यापारियों को अपने कारोबार के नुकसान से बचने के लिये वकीलों के माध्यम से अपना केस का फौसला करवाना पड़ता है। व्यापारी को वकीलों की फीस और सेल टैक्स विभाग के चपरासी कलंकर इंस्पेक्टर ईटीओ तक को भी रिश्वत देनी पड़ती है। व्यापारी को जब रिश्वत देनी पड़ती है तो फिर ईमानदार व्यापारी भी टैक्स चोरी करने लगता है आर टैक्स चोरी का

डर समाप्त हो जाता है जिससे व्यापारी मोटा टैक्स चोरी करने लगता है।

करनाल सेल टैक्स विभाग के कार्यालय में अनियमितताओं का अम्बार लगा है हर तरह के नियम ताक पर रखकर पैसा कमाने की होड़ लगी है। लेकिन अगर कहीं से किसी व्यापारी की शिकायत आ भी जाये तो इनकी पाँ-बारह हो जाती है व्यापारी से सांठ-गाँठ करके उसे रफा-दफा करना भी ये खूब जानते हैं। अगर शिकायत कर्ता अधिकारी की शिकायत करे तो अधिकारी की जांच के लिये उसके अधीनस्थ कर्मचारी के जांच सौंप देते हैं ताकि जांच भी हो और कुछ निकले भी नहीं। जनाब सरकारी अधिकारी होने के साथ-साथ ताकतवर होने का एहसास भी करवाते रहते हैं। अगर कोई पीछे पड़ जाये तो उसे कार्यालय से बाहर कर देते हैं और अगर कुछ कहे तो सरकारी नौकरी में बाधा बता कर चुप करा देते हैं।

गत दिनों ईटीओ अनिल मलिक का मामला प्रकाश में आया है कि एक शिकायत विक्रेता हाईटैक सुरक्षा मुगल करनाल द्वारा सेलटैक्स चोरी करने बारे सेल टैक्स कार्यालय शिकायत दर्ज करवाई कि विक्रेता हाईटैक सुरक्षा मुगल करनाल ने मुझे सीसी टीवी कैमरा, डीवीआर सिस्टम बेचा है लेकिन बिल नहीं दे रहा जिसके बारे में मैं कई बार लिखित व मौखिक

बिल मांग चुका हूँ जो शिकायत ईटीओ अनिल मलिक को सौंपी गई। ईटीओ अनिल मलिक ने बड़े जोश में आकर आश्वासन दिया कि मैं उसकी दुकान पर छापा मारूंगा। परन्तु वही ढाक के तीन पात कोई कार्रवाई न की और शिकायत को लटकवाया रहा। ईटीओ अनिल मलिक ने सोचा कि शिकायत कर्ता थक हार कर घर बैठ जायेगा परन्तु जब शिकायतकर्ता थक हार कर नहीं बैठा तो उधर विक्रेता हाईटैक सुरक्षा के मालिक ने अपने भाई हर्ष के माध्यम से शिकायत कर्ता को कई सिफारिशें भेजी और अन्त में 12 हजार रुपया वापिस देने की आफर दी। परन्तु शिकायत कर्ता ने पैसे लेने से इंकार कर ईटीओ अनिल मलिक को सूचना दी और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ईटीओ अनिल मलिक ने कार्रवाई करना तो दूर उल्टा दोषी दुकानदार की सहायता करते हुये कहा कि दुकानदार ने माल बेचा ही नहीं है। शिकायत कर्ता ने जब ईटीओ अनिल मलिक को दुकानदार का वार्तालाप पै न ड्राईव दिखाते हुये कहा कि आडियो विडियो दोनों मेरे पेन ड्राईव में रिकार्डिड है देख सकते हैं। विडियो देखने के वजय कहा कि ये कोर्ट में जाकर दिखाना ये मेरी दुकान है और मेरा हिस्सेदार है नहीं करता कार्रवाई जा जो करना है कर ले। आपसी बहस के दौरान शिकायत कर्ता ने अन्त में कहा कि मैं आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगा। पुलिस में शिकायत के डर से ईटीओ ने कहा कि 6 हजार लेता है तो बता अभी ले और

काम निपटा। कार्रवाई होते देख मौके की नजाकत को देखते हुये शिकायत कर्ता ने ईटीओ से 6 हजार रुपया के लिये और ईटीओ ने शिकायत पर आगे कार्रवाई न करने के लिये हस्ताक्षर करवा लिये लिखवाया। जाते-जाते शिकायत कर्ता ने ईटीओ से कहा कि अगर दुकानदार ने माल बेचा ही नहीं था तो अब 6 हजार कैसे दे दिये।

उसके बाद शिकायत कर्ता ने डिप्टी एक्साईज एण्ड टैक्सेशन कमीशनर व कराराधान आयुक्त को अनिल मलिक की शिकायत की गई जिसमें कहा गया कि साक्ष्यों के अनुसार लगता है कि अनिल मलिक व विक्रेता हाईटैक सुरक्षा की हिस्सेदारी है। डिप्टी एक्साईज एण्ड टैक्सेशन कमीशनर ने 28-9-2013 सुगमपाल ईटीओ जो कि अनिल मलिक से जूनियर है को जांच के लिये नियुक्त कर दिया। सुगमपाल ईटीओ ने पूरी निष्ठा निभाते हुए कुछ कागजात पर शिकायत कर्ता के हस्ताक्षर करवा कर सबूत पेश करने के लिये अगली तारीख दे दी।

कुछ कागजात व दुकानदार का आडियो विडियो व लैपटॉप व मौके के गवाह को लेकर देखने के लिये आग्रह किया तथा इसके लिये शपथ पत्र देने के लिये भी कहा तो सुगमपाल ईटीओ ने पूरी निष्ठा निभाते हुए कहा कि इसकी

जरूरत नहीं है मैं उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत कर आपको भी सूचित कर दूंगा।

लेकिन बाद में पता चला कि राज कुमार डिप्टी एक्साईज एण्ड टैक्सेशन कमीशनर के रिटायर होने के बाद ईटीओ अनिल मलिक स्वयं ही डिप्टी एक्साईज एण्ड टैक्सेशन कमीशनर का चार्ज संभाल कार्य कर रहा था। जिसने स्वयं की शिकायत अपने से जूनियर ईटीओ सुगमपाल को सौंप दी। देखने वाली बात ये है कि कोई जूनियर अपने वरिष्ठ अधिकारी की जांच कैसे कर सकता था अतः न जांच होनी थी न हुई। वैसे ये दोनों अधिकारी मित्र भी है। प्रायःइकठ्ठे एक ही टेबल पर लन्च करते हैं और दोनों ही निजी कार पर नीली बत्ती लगाये इकठ्ठे घूमते देखा गया है। सुगमपाल कार्यालय का टाईम समाप्त होने के बाद अपने निजी कार पर नीली लागाकर प्रायः जी. टी. रोड पर घूमता रहता है। मिली जानकारी अनुसार जहाँ चाहे विभागीय काम शुरू कर देता है नीली बत्ती लगाकर प्रतिदिन कुरूक्षेत्र से करनाल कार्यालय आता है टोल टैक्स से रिकार्ड पता किया जा सकता है कि कितना टोल टैक्स सरकार को दिया डिप्टी एक्साईज एण्ड टैक्सेशन कमीशनर से पूछा तो पता चला कि सुगमपाल ने रिपोर्ट आज तक नहीं बनाकर दी। उल्टा शिकायत कर्ता को तंग किया जाता है और मामला आज तक ठण्डे बस्ते में है।